रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 19 अप्रैल, 1997/29 चैत्र, 1919

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अप्रैल, 1997

संख्या एल० एल० आर०-डी० (6)-35/97-लेजिस्लेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 18-4-97 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका

1100-राजपत्र/97-19-4-97—1,322. मूल्य: 1 रुपया।

(संशोधन) विधेयक, 1997 (1997 का 2) को 1997 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 8 के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित, हिमाचल प्रदेश, राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि)।

1997 का अधिनियम संख्यांक 8.

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1997

(राज्यपाल द्वारा तारीख 18 अप्रैल, 1997 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1997 है ।

(2) यह 10 जनवरी, 1997 को प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 10 का संशोधन ।

1994 का 13

2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) नगरपालिका में इस धारा के अधीन सीधे निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के अतिरिक्त, पूर्णतः या अंशतः नगरपालिका क्षेत्र में समाविष्ट निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधान सभा के सदस्य, भी सदस्य होंगे और राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को भी, जो तीन से अधिक नहीं होंगे, सदस्य के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगी :

परन्तु इस उप-धारा में निर्दिष्ट व्यक्तियों और नगरपालिका परिषद् की दशा में कार्यपालक अधिकारी तथा नगर पंचायत की दशा में सचिव को नगरपालिका की सभी बैठकों में उपस्थित होने तथा विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा ।"

धारा 211 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 211 में, उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) जहां निर्माण का स्वामी अपने बन्द किए गए कार्य या उस द्वारा पूर्ण किए गए कार्य के पश्चात् संशोधित रेखांक प्रस्तुत करता है और उसमें मंजूर रेखांक से विचलन है, तो नगरपालिका, उप-धारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष या साधारण निदेशों के अध्यधीन विचलन के मामलों का, मन्जूर रेखांक से दस प्रतिशत तक प्रशमन कर सकेगी :

परन्तु जहां संशोधित रेखांक में—

(*i*) किसी सरकारी भूमि या नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकरण में निहित भूमि; या

(*ii*) किसी लोक सड़क, मार्ग, पथ या नाली को आच्छादित करते हुए; वा

(*iii*) हिमाचल प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1968 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए, निर्माण का परिनिर्माण अन्तर्वलित है ;

वहां नगरपालिका मंजूर रेखांक से विचलन का प्रशमन नहीं करेगी ।

(2क) उप-धारा (2) के अधीन नगरपालिका के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, नगरपालिका द्वारा आदेश पारित करने से तीस दिन के भीतर और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, उपायुक्त को अपील कर सकेगा ।

(2ख) उप-धारा (2क) के अधीन अपील में उपायुक्त के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, उपायुक्त द्वारा किए गए आदेश से तीस दिन के भीतर और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा ।

(2ग) अपील प्राधिकारी, कारणों को अभिलिखित करते हुए, उप-धाराएं (2क) और (2ख) में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के पश्चात् भी अपीलें दाखिल करने की अनुज्ञा दे सकेगा और उक्त उप-धाराओं के अधीन तीस दिन की अवधि की संगणना करने के लिए, आदेश जिसके विरूद्ध अपील की गई है, की प्रमाणित प्रतियां उपाप्त करने के लिए व्यतीत हुआ समय अपवर्जित किया जाएगा ।

(2घ) राज्य सरकार उप-धाराएं (2), (2क) और (2ख) में किसी बात के होते हुए भी, अत्यधिक कठिनाई के असाधारण मामलों में, मंजूर रेखांक से विचलन के मामलों का प्रशमन कर सकेगी ।"

1997 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन ।

4. (1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1997 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1997 का निरसन होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 8 of 1997.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 1997

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON THE 18TH APRIL, 1997)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (13 *of* 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-eighth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 1997.

(2) It shall and shall be deemed to have come into force on the 10th day of January, 1997.

Amendment of section 10.

2. For sub-section (3) of section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter called the principal Act), the following sub-section shall be substituted, namely:— of 1994

"(3) In a municipality, in addition to persons chosen by direct election under this section, the Members of the State Legislative Assembly, representing constituencies which comprise wholly or partly in municipal area, shall also be the members and the State Government may, by notification, also nominate as members, not more than three persons, having special knowledge or experience of Municipal administration :

Provided that the persons referred to in this sub-section and the Executive Officer in case of Municipal Council and Secretary in the case of Nagar Panchayat, shall have the right to attend all the meetings of the municipality and to take part in discussion therein but shall not have the right to vote."

3. In section 211 of the principal Act, for sub-section (2), sub-sections shall be substituted, namely:—

"(2) Where the owner of the building submits the revis the work has been stopped by him or the work is him and there are deviations from the sanctioned pla pality may, subject to the special or general dire State Government under sub-section (3), compoun deviations upto 10% from the sanctioned plan :

Provided that where the revised plan involves erection

(*i*) on any Government land or the land vested in or a local authority; or

(*ii*) by covering any public road, street, path or drain; or

(*iii*) by contravening the provisions of the Himachal Pradesh Roadside Land Control Act, 1968; 21 of 1969

the municipality shall not compound deviations from the sanctioned plan.

(2*A*) Any person aggrieved by the decision of the municipality under sub-section (2), may, within thirty days from the passing of the order by the municipality and in such manner as may be prescribed, appeal to the Deputy Commissioner.

(2*B*) Any person aggrieved by the decision of the Deputy Commissioner in appeal under sub-section (2A), may, within thirty days from the order made by the Deputy Commissioner and in such manner as may be prescribed, appeal to the State Government.

(2*C*) The appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, allow the appeals to be filed after the expiry of the period of thirty days specified in sub-sections (2A) and (2B) and for calculating the period of thirty days under the said sub-sections, the time spent in procuring the certified copies of the orders to be appealed against shall be excluded.

(2*D*) Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (2A) and (2B), the State Government may, in exceptional cases of extreme hardship, compound the cases of deviations from sanctioned plans."

Repeal of Ordinance No. 2 of 1997.

4. (1) The Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 1997 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 1997 anything done or action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been taken under the corresponding provisions of this Act.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।